

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र मंगलौर, हरिद्वार	सामु0स्वा0केन्द्र नैनीडाण्डा, पौड़ी।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20583

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार / पौड़ी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार / पौड़ी।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती सरिता सिंह	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र मंगलौर, हरिद्वार	सामु0स्वा0केन्द्र नैनीडाण्डा पौड़ी।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 2-581

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार /पौड़ी गढ़वाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार /पौड़ी गढ़वाल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


 (जे० एस० चुफाल)
 संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनुपमा शर्मा	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० हरिद्वार	जिला चिकि० अल्मोड़ा।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20579

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार / नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० हरिद्वार/जिला चिकि० अल्मोड़ा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार / अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (i)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आरती	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 उत्तरकाशी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

/_____
(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20577

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार /उत्तरकाशी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार/जिला चिकि0 उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार /उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

/_____
(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रेमांजली अधिकारी	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र सितारगंज, ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि0 बागेश्वर।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20575

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिला चिकि0 बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर /बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रश्मिका	नर्सिंग अधिकारी	प्रा०स्वा०केन्द्र सहसपुर, देहरादून	सम्म०स्वा०केन्द्र चकराता, देहरादून।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र प्रज्ञिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20573

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती किरन कोहली	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि० अल्मोड़ा।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करण की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 205न।

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल/जिला चिकि० अल्मोड़ा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल /अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजलि सिंह	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र भवाली, नैनीताल।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20569

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजलिका	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि0 पिथौरागढ़	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20562

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल/जिला चिकि0 पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल /पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक-09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री ईभा विश्वास	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश	बी०डी०पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20565

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून/बी०डी०पाण्डे जिला चिकि० नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून /नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शारिका भण्डारी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 ऋषिकेश	जिला चिकि0 उत्तरकाशी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20563

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 ऋषिकेश, देहरादून/जिला चिकि0 उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून /उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/2017(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मर्लिन	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० प्रेमनगर	सामु०स्वा०केन्द्र चकराता, देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20561

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० प्रेमनगर, देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रिचा मिश्रा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रुद्रपुर	सामु०स्वा०केन्द्र भवाली, नैनीताल।	जनहित


- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।


(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20559 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर /नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।


(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शशि रतूड़ी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रूडकी	सौमु0स्वा0केन्द्र फकोट, टिहरी गढ़वाल।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20557

तक दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रूडकी, हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार /टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायोलय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक-09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती वर्षा दूबे	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रुड़की	उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20555

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रुड़की, हरिद्वार/उप जिला चिकि0 श्रीनगर पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार /पौड़ी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक-09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मीनाक्षी भण्डारी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश	जिला चिकि० रुद्रप्रयाग	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20553

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० ऋषिकेश, देहरादून/जिला चिकि० रुद्रप्रयाग।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून /रुद्रप्रयाग।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती संगीता राय	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर, टिहरी	जिला चिकि0 उत्तरकाशी ।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20551

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 नरेन्द्र नगर, टिहरी/जिला चिकि0 उत्तरकाशी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी /उत्तरकाशी।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मोनिका वर्मा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रुडकी	सामु0स्वा0केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20549

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 रुडकी, हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार /टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हीरा भण्डारी/कण्डारी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 देहरादून	उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20547 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/उप जिला चिकि0 श्रीनगर, पौड़ी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(ज0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कृष्णा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० खटीमा	जिला चिकि० चम्पावत।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20545

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० खटीमा/जिला चिकि० चम्पावत।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर /चम्पावत।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती एंजलीना	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली ।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20543

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार/जिला चिकि0 गोपेश्वर चमोली।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती राखी जितवान	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 हरिद्वार	सामु0स्वा0केन्द्र यमकेश्वर, पौड़ी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20541

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अमृता कौर	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० ऋषिकेश	सामु०स्वा०केन्द्र फकोट, टिहरी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20539

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेनु सैठिया	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय, देहरादून	जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20532

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/जिला चिकि0 रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती उमा सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकित्सालय, देहरादून	जिला चिकि० उत्तरकाशी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20535

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/जिला चिकि० उत्तरकाशी
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती चन्द्रकान्ता पाली	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 नैनीडाण्डा, पौड़ी	जिला चिकि0 हरिद्वार	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20533

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती मधु गुप्ता	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	जिला चिकि० चम्पावत।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20619

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/चम्पावत।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकि० रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर/जिला चिकि० चम्पावत।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर /चम्पावत।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अरुणा	नर्सिंग अधिकारी	बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकि0 बागेश्वर।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20621

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बेस चिकि0 नैनीताल/जिला चिकि0 बागेश्वर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल /बागेश्वर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)

संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शाहजहाँ खातून	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र डोईवाला, देहरादून	सामु0स्वा0केन्द्र सहिया, देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20623

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती विनीता	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी	जिला चिकि0 हरिद्वार।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20625

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, /जिला चिकि0 हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, गढ़वाल /हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती यशोदा	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र अगस्त्यमुनी, रुद्रप्रयाग	जिला चिकि0 देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20627

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग /देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक-09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रीना तोमर	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र सहिया, देहरादून	जिला चिकि0 देहरादून।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20628

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती रेखा नेगी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोड़ा	सामु0स्वा0केन्द्र सितारगंज, ऊधमसिंह नगर।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20630

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा /ऊधमसिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दीपिका मसीह	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोड़ा	महिला चिकि० हल्द्वानी।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार, ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20632

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा/महिला चिकि० हल्द्वानी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजली पी0 सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला महिला चिकि0 पिथौरागढ़	जिला चिकि0 अल्मोड़ा।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20634

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमौऊ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकि0 पिथौरागढ़ /जिला चिकि0 अल्मोड़ा।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ /अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती बबीता सैनी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि० उत्तरकाशी	जिला चिकि० हरिद्वार।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20635

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/जिला चिकि० हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनिलारणकोटी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 उत्तरकाशी	जिला चिकि0 देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20638

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/जिला चिकि0 देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अभिलाषा भाकुनी	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 बागेश्वर	जिला चिकि0 पिथौरागढ़।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20640

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि0 बागेश्वर /जिला चिकि0 पिथौरागढ़।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर /पिथौरागढ़।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती दुर्गाप्रदीप सिंह	नर्सिंग अधिकारी	जिला चिकि0 गोपेश्वर, चमोली	जिला चिकि0 देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20642

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली/जिला चिकि0 देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/206

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती चन्द्रा पुरी	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	सामु०स्वा०केन्द्र बहादुराबाद, हरिद्वार।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनीयता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20644

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफ़ाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023 दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम व सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कमला ताकुली	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट, अल्मोड़ा	बेस चिकि0 हल्द्वानी।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जान अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि के कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20646

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कायालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीमा खम्पा	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली।	जिला चिकि0 देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20648

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग, चमोली/जिला चिकि0 देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती नीता चौहान	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0केन्द्र रिखणीखाबा, पौड़ी गढ़वाल	जिला चिकि0 देहरादून।	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
4. दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20650

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, गढ़वाल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिला चिकि0 देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/देहरादून।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मन्जू आर्या	नर्सिंग अधिकारी	जिला टी0बी0 चिकि0 पिथौरागढ़	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20652

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/ नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, टी0बी0 क्लीनिक पिथौरागढ़/महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती ममता मेहरा	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 बेतालघाट, नैनीताल	सामु0स्वा0के0 भीमताल, नैनीताल	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20654

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रंजीत कौर	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोड़ा	उप जिला चिकि० बाजपुर, ऊधमसिंह नगर	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20656

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा/उप जिला चिकि० बाजपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंह नगर।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती रोशनी (रोशन)	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 रानीखेत, अल्मोड़ा	महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 20658

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा/महिला चिकि0 हल्द्वानी, नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सुश्री शामिली रांव	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 थत्यूड, टिहरी	सामु0स्वा0के0 कालसी, देहरादून	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20660

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सुश्री सविता	नर्सिंग अधिकारी	उप जिला चिकि0 कर्णप्रयाग	जिला चिकि0 हरिद्वार	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20662

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/ हरिद्वार।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग, चमोली/जिला चिकि0 हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे0 एस0 चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती प्रीति ब्रजवासी	नर्सिंग अधिकारी	महिला चिकि० नैनीताल	महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/20664

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
3. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकि० नैनीताल/महिला चिकि० हल्द्वानी, नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/

देहरादून: दिनांक- 09 जून, 2023

- : आदेश :-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या- 12/ XXXVI (3)/2018/20 (1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018, शासनादेश संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13) 2017 दिनांक-06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023, दिनांक-10.05.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2023-24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम -04 से कॉलम- 05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मिथिलेश भट्ट	नर्सिंग अधिकारी	सामु0स्वा0के0 नन्दानगर, चमोली	सामु0स्वा0के0 डुण्डा, उत्तरकाशी।	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
3. सम्बन्धित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण भत्ता आदि देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(विनीता शाह)
महानिदेशक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/उप0/23/2023/ 26666

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली/ उत्तरकाशी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उत्तरकाशी।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(जे० एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल)